राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2383/2025

राकेश चोपड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, वित्त (राजस्व), शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक	: 02.04.2025
उपस्थिति :–	
अपीलार्थी की ओर से	: श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	: श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय के पद पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल, झोटवाड़ा जयपुर में किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 15.01.2025 में संशोधन करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 27.03.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के वर्तमान स्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) जयपुर में किया गया है, जो अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है और अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मामलों में दिनांक 28.01.2025 को पारित निर्णय में सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय के कुल 1116 कार्मिकों के

स्थानांतरण के आदेश को Abeyance में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन 1116 कार्मिकों के स्थानांतरण आदेश के संबंध में आदेश पारित किया है, उसमें वर्तमान अपील का आलोच्य आदेश भी शामिल है, जिससे निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानांतरण हुआ है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी के स्थानान्तरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जाए और अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापित स्थान पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय का एक ही पद स्वीकृत है, जिस पर अपीलार्थी पदस्थापित है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिट याचिका संख्या 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मामलों में निर्णय दिनांक 28.01.2025 पारित कर निम्न प्रकार से आदेश पारित किया हैः–

" 10. Accordingly, in light of the observations made hereinabove, it is directed that the competent authority shall take a fresh call with respect to all of 1,116 Assistant Account Officers (Grade-I & II) and segregate them into two separate lists i.e. the ones who have completed their four years warranting their transfers and; the second list of those where special circumstances exist as per Clause (1) of the Circular, ibid.

11. Till then the implementation of the impugned transfer orders shall be kept at abeyance in rem.

12. Needless to say that those of the transfer orders, which do not require to be recalled after carrying out the aforesaid exercise shall be implemented. Those cases, where owing to special circumstances, transfers have to be carried out, such officials are at liberty to assail the same by filing fresh petition, if so advised.

13. At this stage, learned Additional Advocate General submits that passing of the fresh orders requires prior sanction from the competent authority in view of the ban imposed by the Chief Secretary vide an administrative order dated 03.01.2024. In order to obviate any procedural hurdle, it is made clear that since the transfer orders have been put on hold by mandamus of this Court, thus taking fresh administrative decision qua the petitioners shall be construed to be in continuation of the earlier transfer orders. No prior sanction would thus be required in terms of the circular dated 03.01.2024 issued by the Chief Secretary.

14. Also, as a matter of abundant caution, it is clarified that those of the officials who have been transferred vide impugned orders herein and have no grievance qua the same, their transfer orders need not be recalled or reviewed by the competent authority pursuant to the mandamus issued vide instant order. Likewise, those of the officials who have not been displaced outside the same town where they are currently posted, in their case also the competent authority shall be exempted to pass any fresh orders.

15. In the parting, at the cost of repetition, I may hasten to add that no doubt, the finance department administrative circular dated 08.03.2017 provides flexibility by allowing transfers before four years in "special circumstances" and "in the interest of the State", but at the same time it also aims to provide certain stability to officers. Thus, a balance has to be maintained by adopting an approach to protect officers from arbitrary actions without undermining the authority's ability to manage administrative exigencies. It is in this context that the competent authority ought to have segregated officers into two lists—those who have completed four years and those transferred due to special circumstances. Same would also ensure that each case is individually assessed. I am conscious that administrative decisions, especially those involving large-scale transfers, require certain degree of discretion which this court is not equipped to second-guess. The separation of powers and the expertise of the administrative body has to be given due credence. Endeavour of this court by directing a reassessment of the transfers is merely to provide a safeguard against seemingly arbitrary action by striking a fair and pragmatic balance between rights of the account officers and administrative exigencies.

16. The writ petitions are thus disposed of with liberty to the competent authority to carry out the aforesaid needful exercise within a period of 30 days with effect from the date of receipt of web-print of this order and pass fresh orders, wherever warranted, keeping in mind the observations made here in above.

17. All pending applications also stand disposed of. "

4. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रकार से आदेश पारित कर सहायक लेखाधिकारी–प्रथम / द्वितीय की स्थानांतरण सूचियों को Abeyance में रखे जाने के आदेश पारित किए हैं एवं प्रत्यर्थी विभाग को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं।

ऐसे में जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूरे स्थानांतरण आदेश को Abeyance में रखे जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, तो निजी प्रत्यर्थी को नए स्थान पर कार्यग्रहण कराया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही निजी प्रत्यर्थी के स्थानांतरण आदेश के आधार पर अपीलार्थी को वर्तमान स्थान से कार्यमुक्त नहीं किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का कोई प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय की पालना किये जाने पर नहीं होगा और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की जावेगी।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)